श्रीमती हरप्रीत कौर, हरविंद्र सिंह बेदी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

21 जनवरी 1992

[एस. रत्नवेल पांडियन और ए.एस. आनंद, जे.जे]

महाराष्ट्र स्लममालिक बूटलेगर्स और ड्रग अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981: धारा 3(1) हिरासत आदेश- हिरासत का उद्देश्य में अंतरः- 'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन और 'सार्वजनिक व्यवस्था' की गड़बड़ी के बीच अंतर- प्रत्येक मामले के तथ्यों में अदालतों को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। पहली बार में तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। क्या आदेश दूषित था।

अवैध शराब के परिवहन की जांच करने की दृष्टि से, पुलिस निगरानी रख रही थी और अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के पति द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार को रुकने का संकेत दिया गया था। कार को रोकने

के बजाय, बंदी ने कार की गति बढ़ा दी और सीधे पुलिस की ओर चला गया। पुलिस को खुद को बचाने के लिए पगडंडी पर कूदना पड़ा। बंदी ने पुलिस अधिकारियों को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी और वह लापरवाही से कार चलाता रहा, बंदी ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। आख़िरकार कार एक खड़ी टैक्सी से टकराकर रुक गई। पुलिस, बंदी और कार में सवार दो अन्य लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वे कार से कूदकर भाग निकले।

पुलिस ने कार जब्त कर ली और उसमें से अवैध शराब बरामद की। हिरासत में लिए गए व्यक्ति और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 324 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। बंदी ने खुद की गिरफ्तारी को मुश्किल बना लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

हालाँकि, कुछ दिनों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने भागने सहित घटना को स्वीकार कर लिया। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया गया कि उन्हें रोजाना पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। चूंकि बंदी शर्त पूरी करने में विफल रहा, इसलिए जमानत रद्द कर दी गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद बंदी ने अपनी जमानत रद्द करने के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसे जमानत दे दी गई।

मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा बयान दर्ज किए गए। चार गवाहों से, जिन्होंने केवल नाम न छापने की शर्त पर गवाही दी क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा बदले की आशंका थी।

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने पर कि बंदी के 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने की संभावना पर हिरासत का आदेश पारित किया तथा उस आदेश के आधार पर बंदी को हिरासत में लिया गया। उक्त आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर की गई। बंदी की पत्नी ने हिरासत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई। साथ ही इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की है, जिसमें उसने अपने पति के खिलाफ पारित हिरासत के आदेश को चुनौती दी।

अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया कि बंदी की गतिविधियों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने समाज की गतिविधियों को प्रभावित किया है और इस प्रकार पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए उसे हिरासत में रखा गया है, जो 'सार्वजनिक व्यवस्था' के लिए अनुचित था। आगे यह तर्क दिया गया कि महाराष्ट्र स्लममालिक बूटलेगर्स और ड्रग अपराधियों की

खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981 की धारा 3 (2) के तहत राज्य सरकार को पहली बार में तीन महीने से अधिक की हिरासत में रखने का आदेश दिए जाने से मना किया गया है। चूंकि वर्तमान मामले में हिरासत का आदेश तीन महीने से अधिक समय के लिए था, इसलिए यह अमान्य था।

इस न्यायालय द्वारा मामले को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया।

1.1. अपराध पूरे समाज के खिलाफ विद्रोह है और तत्कालीन सभ्यता पर हमला है। वहीं व्यवस्था किसी भी संगठित सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है और उस व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई भी प्रयास समाज और समुदाय को प्रभावित करता है। 'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन और 'सार्वजनिक व्यवस्था' की गड़बड़ी के बीच का अंतर समाज पर विचाराधीन गतिविधि की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है। अपनी आवश्यक गुणवत्ता में, जो गतिविधियाँ 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करती हैं और जो 'सार्वजनिक व्यवस्था' को बिगाड़ती हैं, भिन्न नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनकी क्षमता और समाज के प्रति गति और सार्वजनिक शांति पर प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए, प्रत्येक मामले में, अदालतों को यह पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों की दूरदर्शिता, परिमाण और तीव्रता को देखना होगा कि क्या

उसकी गतिविधियां 'सार्वजनिक व्यवस्था' या केवल 'कानून और व्यवस्था' के रखरखाव के लिए हानिकारक हैं। [244 ई-जी]

1.2 समाज के हित में कानून का सम्मान बनाये रखना होगा और किसी अपराधी को निराश करना इसे बनाए रखने का एक तरीका है। इसलिए, किसी बंदी की आपत्तिजनक गतिविधियों का आकलन समग्रता में किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन गतिविधियों का समग्र रूप से समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों से केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समाज को भी नुकसान होता है, तो वे गतिविधियाँ 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं और न केवल 'कानून और सीमा' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं। हिरासत का आदेश तब मान्य होगा यदि किसी बंदी की गतिविधियां 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जहां यह केवल 'कानून और व्यवस्था' के रखरखाव को प्रभावित करती हैं। [245 बी-सी)

राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1966 एससी 740; अरुण घोष वि. पश्चिम बंगाल राज्य, [1970] 1 एससीसी 98; मधु लिमये वि. वेद मूर्ति, सी [1970] 3 एससीसी 738; कानू बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1972] 3 एससीसी 831; अशोक कुमार वि. दिल्ली

प्रशासन, [1982] 2 एससीसी 403; सुभाष भंडारी वि. जिलाधिकारी, लखनऊ। [1987] 4 एससीसी 685, पर भरोसा किया गया।

यूपी राज्य वी. हरि शंकर तिवारी, [1987] 2 एससीसी 490; अहमदहुसैन शेखहुसैन बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद एवं अन्य, [1989] 4 एससीसी 751; टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य, [1990] 2 एससीसी 456; को निर्दिष्ट किया गया।

2.1 महाराष्ट्र स्लमॉर्ड्स, बूटलेगर्स और ड्रग अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ए) का स्पष्टीकरण 'सार्वजनिक व्यवस्था' पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में एक कानूनी कल्पना को लागू करती है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि धारा 2(ए) के खंड ((i)-(iii)) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी नुकसान,खतरे या अलार्म या असुरक्षा की भावना का कारण बनती है या पैदा करने की योजना बनाई जाती है आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरा उत्पन्न होता है, तो सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ माना जाएगा। इस प्रकार, निरुद्घ व्यक्ति के मामले में निर्धारण के दौरान इस विधायी मंशा को ध्यान में रखना होगा कि क्या 'मद्य तस्कर' के द्वारा किए गए कार्य से 'सार्वजनिक व्यवस्था' प्रभावित हुई है, या नहीं। [246-बी, सी]

2.2 तत्काल मामले में, आधार का सार जिस पर हिरासत में लेने का यह आदेश दिया गया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अवैध शराब का तस्कर है, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और कानून के चंगुल से बचने के लिए उसने यहां तक कि अपने तेज रफ्तार वाहन से पुलिस को कुचलने की भी कोशिश की और उसे रुकने का इशारा देने की पुलिस द्वारा कोशिश की गई, पर उसके द्वारा पुलिस को उस समय उकसाया कि

जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा, वह उसे मार डालेगा, वह लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा और तेजी से एक पैदल यात्री से टकरा गया जिससे उसे चोटें आईं, जहां उसने फिर से चेतावनी दी थी कि जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा, वह मृत्यु को प्राप्त होगा। चार गवाह ए, बी, सी, डी- जो नाम न छापने की शर्त पर पुलिस को बयान देने के लिए सहमत हुए, ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे बदले के डर से बंदी के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, क्योंकि बंदी ने धमकी दी थी कि जो भी ऐसा करेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ दी गई गवाही में से दो गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि बंदी अवैध शराब के परिवहन और वितरण करने में लिप्त था और शराब परिवहन करते समय अपने साथ हथियार रखता था। इसलिए, बंदी की गतिविधियाँ केवल 'मद्य तस्कर' नहीं थी, बल्कि उन लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करके समाज की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थीं, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ उसके खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्तियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने की

संभावना रखते थे। गवाहों में बंदी द्वारा पैदा किए गए भय मनोविकृति का उद्देश्य अपराधी को दंडित किए बिना छोड़ना था, जिसका खामियाजा केवल किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए, बंदी की गतिविधियां पूरी तरह से अधिनियम की धारा 2(ए) के स्पष्टीकरण में लागू किए गए प्रावधान के अंतर्गत आती हैं। इसलिए, इससे यह पता चलता है कि बंदी की गतिविधियाँ न केवल 'कानून और व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थीं, बल्कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव के लिए भी प्रतिकूल थीं। [246 डी-एच, 247-ए]

ओम प्रकाश बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य, [1989] पूरक, (2) एससीसी 576; रशीदमिया बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद एवं अन्य, [1989] 3 एससीसी 321; पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद शहर और अन्य. [1989] पूरक। (1) एससीसी 322 पर निर्भर किया गया।

3. अधिनियम की धारा 13 हिरासत की अधिकतम अवधि निर्धारित है, जो यह बताती है कि किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किए गए किसी भी हिरासत आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है, जिसकी पुष्टि अधिनियम की धारा 12 के तहत की गई है। क्योंकि यह आदेश उक्त प्रावधानों के अनुरूप है, इसलिए, मौजूदा मामले में हिरासत

का आदेश, जो कि तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए था, अमान्य नहीं है [248 डी, ई]

आपराधिक अपीलीय/मूल क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 47/1992

बॉम्बे उच्च न्यायालय के 1991 के सीआरएल डब्लूपी 597 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13/14.8.1991 से।

के साथ

रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 1247/1991

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के लिए डॉ. वाई.एस. चितले और वी.बी. जोशी।

अल्ताफ अहमद, अपर. सॉलिसिटर जनरल, एस.एम. जाधव और ए.एस. भासमे उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉ. ए.एस. आनंद, जे. के द्वारा पारित किया गया।

(सीआरएल) संख्या 3227/1991 में अनुमति दी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर 1991 की रिट याचिका संख्या

1247 को भी उपरोक्त अपील के साथ निपटाने के लिए अनुमति दी गई, जो कि 1991 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 597 में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ थी, क्योंकि यह हिरासत का वही आदेश है जिस पर दोनों मामलों में सवाल उठाया गया है।

2. अपील और रिट याचिका दोनों हरविंदर सिंह उर्फ कुक्कू की पत्नी द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत जारी हिरासत के आदेश, दिनांक 26 फरवरी 1991 के तहत हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र स्लमलोर्ड्स, बूटलेगर्स और ड्रग अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981 (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 597 के माध्यम से अपने पति की हिरासत पर विभिन्न आधारों पर सवाल उठाया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने चुनौती में कोई योग्यता नहीं पाई और यह राय रखते हुए कि हिरासत का आदेश दूषित नहीं था तथा रिट याचिका खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की तथा न्यायालय के फैसले और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका के माध्यम से हिरासत के आदेश पर भी सवाल उठाया गया। हिरासत के आधारों में परिलक्षित हिरासत में लिए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. माटुंगा पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिसकर्मी अवैध शराब के परिवहन की जांच करने के उद्देश्य से मछली बाजार के पास से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख रहे थे। 9 सितंबर, 1990 को एक काली फिएट कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीएलडी 1674 समय लगभग 08:45 बजे, जिसे चेंबूर की दिशा से आते देखा गया। पुलिस ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। कार चला रहे बंदी ने कार रोकने की बजाय कार की गति तेज कर दी और कार को सीधे पुलिस की ओर ले गया, जिससे हंगामा मच गया और वे खुद को बचाने के लिए फुटपाथ पर कूद पड़े, बंदी लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा और उसने पुलिस के साथ गाली-गलौज भी की और बंदी चिल्लाया कि वे उन्हें मार डालेंगे और फिर एक पैदल यात्री से टकराया, जिससे बंदी घायल हो गया और उस समय भी वह कार रोकने के बजाय चिल्लाया कि जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। बंदी लापरवाही से कार चलाता रहा और कार को एक स्टेशनरी टैक्सी से टकराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर के परिणामस्वरूप कार रुक गई। जैसे ही कार रुकी, पुलिस ने बंदी और कार में बैठे अन्य लोगों को पकड़ने की कोशिश से उनकी ओर दौड़ पड़ी। कार के अंदर बैठा बंदी और दो अन्य व्यक्ति बाहर कूद गए और बंदी भाग निकला। भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324 के साथ सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ माटुंगा पुलिस स्टेशन में एक पुलिस मामला दर्ज किया गया। बंदी ने खुद की गिरफ्तारी को मुश्किल

बना लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अंततः 13 सितंबर, 1990 को उसका पता लगा लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तब उसने एक बयान दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह 09.09.1990 को अवैध शराब के परिवहन में लगा हुआ था और उसने कार को चलाकर पैदल चलने वालों को और स्टेशनरी टैक्सी को टक्कर मारने के बाद, जिस पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया उससे भागने की बात भी स्वीकार की। बंदी को 14.09.1990 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया गया कि 24.09.1990 तक प्रतिदिन उसे शाम 06:00 से 08:00 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा, परंतु बंदी इस शर्त को पूरा करने में विफल रहा जिसके कारण 24.09.1990 को उसकी जमानत रद्द कर दी गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद बंदी ने अपनी जमानत रद्द करने के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया। उसने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकर कर जमानत पर रिहा कर दिया गया।

4. बंदी की कार, जिसका पंजीकरण क्रमांक बीएलडी 1674 को पुलिस ने जब्त कर लिया और कार की डिग्गी से 12 रबर ट्यूब और कार की पिछली सीट से 13 रबर ट्यूब, प्रत्येक में लगभग 40 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। जब्त की गई अवैध शराब के नमूने रासायनिक

विश्लेषक को भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट, दिनांक 10 जनवरी 1991, ने जाहिर किया कि नमूनों में पानी में एथिल अल्कोहल 34% v/v था।

मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने चार गवाहों के बयान दर्ज किए, जो हालांकि, केवल नाम न छापने की शर्त पर बयान देने के इच्छुक थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे उसके खिलाफ गवाही देंगे तो हिरासत में लिए गए लोगों से बदला लिया जाएगा।

बंदी की गतिविधियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था, सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट थे कि जब तक बंदी के निरुद्घ होने का आदेश नहीं किया जाता तब तक उसके भरण-पोषण के लिए बंदी के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है, जो कि भविष्य में भी 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिससे दिनांक 26.02.1991 को बंदी को निरुद्घ किए जाने का आदेश दिया गया। निरुद्घ किए जाने के आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा धारा 12(1) के तहत गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निर्णय किया गया।

हिरासत के आदेश पर उच्च न्यायालय में सवाल उठाया गया, लेकिन असफल रहा। जैसा कि 1991 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 597 के माध्यम से पहले ही देखा जा चुका है।

5. हिरासत के आदेश पर सवाल उठाने के लिए डॉ. चितले ने हमारे सामने दो बुनियादी तर्क रखे हैं। पहले तर्क पर यह कहते हुए ज़ोर दिया गया कि हिरासत में लिए गए लोगों की गतिविधियाँ केवल "कानून और व्यवस्था" के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कही जा सकती हैं, न कि "सार्वजनिक व्यवस्था" के रखरखाव के लिए प्रतिकूल। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जिन गतिविधियों के लिए बंदी को जिम्मेदार ठहराया गया था, चाहे वे कितनी भी निंदनीय क्यों न हों, उनका समुदाय के सामान्य सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इससे समाज की गतिविधियों में व्यवधान पड़ेगा और इस प्रकार बंदी को उनकी 'सार्वजनिक व्यवस्था' के प्रतिकूल कार्य करने के लिए हिरासत में रखना अनुचित था।

विद्वान वकील द्वारा दूसरा तर्क अधिनियम की धारा 3(2) के तहत दिया गया, जो विद्वान वकील के अनुसार, राज्य सरकार को पहली बार में तीन महीने से अधिक और उसके बाद से हिरासत का आदेश देने से रोकता है। मौजूदा मामले में हिरासत का आदेश तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए था, इसे कानून की दृष्टि से खराब और अमान्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कोई अन्य विवाद दबाया नहीं गया।

6. "सार्वजनिक व्यवस्था" या "कानून और व्यवस्था" दो अलग और विशिष्ट अवधारणाएं हैं और इस न्यायालय के पास दोनों के बीच स्पष्ट

अंतर बताने का प्रचुर अधिकार है। हिरासत के आदेश की वैधता या अन्यथा निर्धारित करने की दृष्टि से, दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर पर ध्यान देना आवश्यक है।

7. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1966 एससी 740 में बहुमत के लिए बोलते हुए, हिदायतुल्ला ने निम्नलिखित शब्दों में अंतर बताया:-

> "किसी को तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करती है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। अब यह देखना आसान है कि कोई कार्य कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, क्योंकि एक कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं।"

8. अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1970] 1 एससीसी 98 में फिर से हिदायतुल्ला जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए मामले में क्या अंतर है, यह बताया।

यह देखा गया कि 'सामाजिक व्यवस्था' के तहत कानून और व्यवस्था के दायरे में आने वाला मामला।

"लड़कियों पर हमले का मामला लीजिए। एक होटल में एक मेहमान आधा दर्जन नौकरानियों को चूम सकता है या आगे बढ़ सकता है। वह उन्हें और प्रबंधन को भी परेशान कर सकता है, लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान नहीं डालता है। वह लड़कियों में से एक दोस्त के साथ हाथापाई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी यह केवल कानून और व्यवस्था के उल्लंघन का मामला होगा। एक ऐसे व्यक्ति का दूसरा मामला लें, जो सुनसान जगहों पर महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। उसकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप कॉलेज और स्कूलों में जाने वाली लड़कियों को निरंतर खतरा और भय होता है। अपने सामान्य व्यवसाय के लिए आन-जाने वाली महिलाओं को रास्ते में आने और उन पर हमला किए जाने का डर रहता है। इस आदमी की गतिविधि अपने मूल गुण में दूसरे आदमी के कार्य से भिन्न नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता और उस पर इसके प्रभाव में भिन्न है। सार्वजनिक शांति में बहुत बड़ा अंतर है। एकांत स्थानों में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का कृत्य जीवन की

सामान्य गतिविधियों में गड़बड़ी पैदा करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था की पहली आवश्यकता है। वह समाज और समुदाय को परेशान करता है। उसका कृत्य सभी महिलाओं को उनके सम्मान के प्रति आशंकित करता है और यह कहा जा सकता है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, न कि केवल व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, जिस पर आपराधिक अभियोजन एजेंसियों द्वारा ध्यान दिया जा सकता है।" [पी. 100]

9. मधु लिमये बनाम वेद मूर्ति, [1970] 3 एससीसी 738 में संविधान पीठ ने फिर से इस प्रश्न पर विचार किया और यह देखा गया:-

"हमारे फैसले में, संविधान में 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' अभिव्यक्ति न केवल उन कृत्यों को शामिल करने में सक्षम है जो राज्य की सुरक्षा को परेशान करते हैं या जैसा कि वर्णित है, सार्वजनिक व्यवस्था के भीतर कार्य करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे कृत्यों को भी शामिल करने में सक्षम हैं जो सार्वजनिक शांति को परेशान करते हैं या शांति का उल्लंघन हैं। अभिव्यक्ति को एक संकीर्ण अर्थ देना आवश्यक नहीं है क्योंकि, जैसा कि देखा गया है, 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' अभिव्यक्ति बहुत व्यापक है।" [पृष्ठ 756]

10. कानू बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, [1972] 3 एससीसी [पृष्ठ 756] 831, में इस न्यायालय ने राय दी:-

> "सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने वाले तरीके से कार्य किया है। यह समाज तक कार्य की पहुंच के परिणाम व पहुंच का सवाल है। सार्वजनिक व्यवस्था को फ्रांसीसी लोग ऑर्डर पब्लिक' कहते हैं और यह कानून व्यवस्था के सामान्य रखरखाव से कुछ अधिक है। यह निर्धारित करने में अपनाया जाने वाला परीक्षण कि क्या कोई कार्य कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, जैसा कि उपरोक्त मामले में बताया गया है: क्या यह समुदाय के जीवन की धारा में गड़बड़ी पैदा करता है, जिससे कि गड़बड़ी हो। सार्वजनिक व्यवस्था या क्या यह समाज की शांति को प्रभावित करते हुए केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करती है?" [पी. 834]

11. अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन, [1982] 2 एससीसी 403 में इस न्यायालय ने प्रश्न की फिर से जांच की और कहा:-

"'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'कानून और व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर कार्य की गुणवत्ता की प्रकृति में नहीं है, बल्कि समाज पर इसकी पहुंच का परिणाम और परिधि से है। 'कानून' की दो अवधारणाएं 'आदेश' और 'सावर्जनिक व्यवस्था' के बीच अंतर ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। प्रकृति में समान लेकिन विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किए गए कार्य अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। एक मामले में यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है और इसलिए कानून और व्यवस्था की सीमा तक को छूता है, जबकि दूसरे में यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसलिए कार्य अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है। बल्कि समुदाय के जीवन की गतिविधि को बाधित करने की कार्य की क्षमता है जो इसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाता है।" [पृ. 409-10]

12. सुभाष भंडारी बनाम जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, [1987] 4 एससीसी 685 में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है:-

"हिरासत का आदेश पारित करने के लिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा एक अकेले कार्य या भूल के भी व्यक्तिपरक रूप में संतुष्ट होने पर भी विचार किया जा सकेगा, जहां किसी कार्य की पहुंच, प्रभाव और क्षमता ऐसी है कि यह सार्वजनिक शांति को परेशान करता है समाज में या किसी निर्दिष्ट इलाके में, जहां कृत्य किए जाने का आरोप है, बड़ी संख्या में लोगों में आतंक और घबराहट पैदा करना। इस प्रकार यह समाज पर कृत्य की पहुंच का परिणाम और सीमा है जो इस पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने वाले तरीके से काम किया।"

13. इस बिंदु पर अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है।

14. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समाज पर आपत्तिजनक गतिविधि की पहुंच का परिणाम और सीमा है, जो इस सवाल पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल 'कानून और व्यवस्था' का उल्लंघन किया है, या इसके संबंध में 'सार्वजनिक व्यवस्था' में गड़बड़ी पैदा करने वाले तरीके से कार्य किया है। कार्य की क्षमता है कि

वह 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव में समुदाय की प्रतिकूल गतिविधियों को बाधित करने वाली बनाती है। जब भी हिरासत के किसी आदेश पर सवाल उठाया जाता है, तो अदालतें यह पता लगाने के लिए ये परीक्षण लागू करती हैं कि क्या आपत्तिजनक गतिविधियां, जिन पर हिरासत का आदेश आधारित है, 'सार्वजनिक व्यवस्था' के लिए प्रतिकूल होने की श्रेणी में आती हैं या केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए 'कानून और व्यवस्था' के प्रतिकूल होने की श्रेणी में आती हैं। अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश तब मान्य होगा यदि बंदी की गतिविधियां 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जहां यह केवल 'कानून और व्यवस्था' के रखरखाव को प्रभावित करती है। हिरासत के प्रत्येक आदेश की वैधता का परीक्षण करने के लिए मामले की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

15. डॉ. चितले ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि यदि बंदियों की गतिविधियों में समाज या समुदाय की समान गति को परेशान करने की क्षमता है, तो वे गतिविधियां 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल होंगी, बल्कि उन्होंने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया तथा यह आग्रह किया कि तत्काल मामले में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की "मद्य तस्कर" गतिविधि, सार्वजनिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती है और

उसकी हिरासत को उचित ठहराने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

ओम प्रकाश बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य [1989] सप्लिमेंट। 2 एससीसी 576; रशीदमिया बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और अन्य, [1989] 3 एससीसी 321 और पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद शहर और अन्य, [1989] अनुपूरक 1 एससीसी 322 निर्भरता रखी गई आैर निवेदन किया कि इन मामलों में "मद्य तस्कर" की गतिविधि को 'सार्वजनिक व्यवस्था' के लिए प्रतिकूल होने की परिधि के अंतर्गत नहीं माना गया।

16. दरअसल, पीयूष कांतिलाल मेहता, ओम प्रकाश और रशीदमिया में (सुप्रीम कोर्ट) मामलों में, न्यायालय ने पाया कि हिरासत के आधारों में मद्य तस्कर की गतिविधियां इन मामलों में सामान्य प्रकृति का होकर 'गुजरात असामाजिक रोकथाम गतिविधियाँ अधिनियम, 1985 की धारा 3(4) के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' के प्रतिकूल नहीं मानी गई। रशीदमिया और ओम प्रकाश के मामलों में पीठ (सुप्रीम कोर्ट) ने पीयूष कांतिलाल मेहता के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया आैर मामलों के तथ्यों ने हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया।

पीयूष कांतिलाल मेहता के मामले में (सुप्रीम कोर्ट) स्थिति यह थी कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक अवैध शराब तस्कर था, जो विदेशी

शराब की बिक्री और वह और उसके सहयोगी भी बल और हिंसा का प्रयोग कर रहे थे और निर्दोष नागरिकों की पिटाई कर रहे थे, जिससे आतंक की भावना पैदा हो रही थी। बंदी को विदेशी मार्का अंग्रेजी शराब के साथ-साथ विदेशी शराब भी रखते हुए पकड़ा गया। न्यायालय ने पाया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति केवल एक अवैध शराब तस्कर था और उसे गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत निवारक रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक कि धारा 3 बी की उप-धारा (4) के तहत मद्य तस्कर की गतिविधियां सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों। हस्तगत मामले में बंदी की कथित गतिविधियों ने 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित नहीं किया। बंदी की गतिविधियों से केवल 'सार्वजनिक व्यवस्था' प्रभावित नहीं किया, लेकिन केवल कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा की।

इसके बाद डॉ. चितले ने तब यूपी राज्य बनाम हरि शंकर तिवारी, [1987] 2 एससीसी 490, अहमदहुसैन शेखहुसैन बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और अन्य। [1989] 4 एससीसी 751; टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य, [1990] 2 एससीसी 456; अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य [1982] 2 एससीसी 403; पर निर्भरता रखी। लेकिन इनमें से कोई भी निर्णय उन परीक्षणों से भिन्न परीक्षण नहीं देता है जिन्हें हमने पहले संदर्भित इस कोर्ट के निर्णयों से निकाला है। उन

मुकदमों का निर्णय उनके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया गया। अदालतें कानून और व्यवस्था के लिए प्रतिकूल गतिविधियों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल गतिविधियों के बीच वैचारिक अंतर के प्रति बहुत जागरूक थीं और चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया था कि हिरासत में लिए गए लोगों की गतिविधियां 'सार्वजनिक व्यवस्था' के लिए प्रतिकूल नहीं थीं, इसलिए हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया।

17. अपराध पूरे समाज के खिलाफ विद्रोह और तत्कालीन सभ्यता पर हमला है। व्यवस्था किसी भी संगठित सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है और उस व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई भी प्रयास समाज और समुदाय को प्रभावित करता है। 'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन और 'सार्वजनिक व्यवस्था' की गड़बड़ी के बीच का अंतर समाज पर प्रश्नगत गतिविधि की पहुंच का परिणाम और सीमा में से एक है। अपनी आवश्यक गुणवत्ता में, जो गतिविधियाँ 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करती हैं और जो 'सार्वजनिक व्यवस्था' को बिगाड़ती हैं, भिन्न नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनकी क्षमता और समाज की गतिविधियों पर प्रभाव में भिन्नता हो सकती है और सार्वजनिक शांति में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए, प्रत्येक मामले में अदालतों को प्रश्न की गहराई, परिमाण और तीव्रता देखनी होगी किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ यह पता लगाने के लिए

कि क्या उसकी गतिविधियाँ मुख्य रूप से 'सार्वजनिक व्यवस्था' या 'कानून व्यवस्था' के लिए प्रतिकूल हैं या नहीं।

18. कानून की वर्तमान स्थिति में यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और साबित करने में सक्षम हो, तब किसी आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध उचित संदेह से परे मामला होने पर कोई अपराधी है और उसे दंडित तभी किया जा सकता है। परंतु जहां अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में असमर्थ है तथा मामला विफल हो जाता है, वहां उस विफलता का मतलब यह नहीं है कि कोई अपराध नहीं किया गया था। जहां अभियोजन का मामला, उस मामले में जिसमें गवाह बदले के डर से किसी आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आने से अनिच्छुक होते हैं, जाहिर है, वहां अपराधी निर्दोष हो जाएगा और अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है। अंततः विश्लेषण यही है कि ऐसे मामलों में समाज ही है, जो पीड़ित होता है। समाज के हित में कानून का सम्मान बनाए रखना होगा और अपराधी को हतोत्साहित करना ही, इसे बनाए रखने का एक तरीका है। इसलिए, किसी बंदी की आपत्तिजनक गतिविधियों को परिस्थितियों की समग्रता में आंका जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन गतिविधियों का पूरे समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों के कारण केवल एक व्यक्ति ही

नहीं, समाज को भी नुकसान होता है, तो वे गतिविधियाँ 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं और न केवल 'कानून और व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।

19. महाराष्ट्र झुग्गी-झोपड़ी मालिकों, शराब तस्करों और नशीली दवाओं के अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981 को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक झुग्गी-झोपड़ी मालिकों, शराब तस्करों और नशीली दवाओं के अपराधियों की निवारक हिरासत तथा उनकी खतरनाक गतिविधि को रोकने के लिए बनाया गया है। धारा 2(ए) "किसी भी मामले में कार्य करना" अभिव्यक्ति का अर्थ परिभाषित करती है।

> "(ए) "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना" का अर्थ है।
>
> (i) झुग्गी-झोपड़ी के मालिक के मामले में, जब वह झुग्गी-झोपड़ी के मालिक के रूप में अपनी किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, या शामिल होने की तैयारी कर रहा है। जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखते हैं,

(ii) मद्य तस्कर के मामले में, जब वह मद्य तस्कर के रूप में अपनी किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, या शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

(iii) ड्रग-अपराधी के मामले में, जब वह ड्रग-अपराधी के रूप में अपनी किसी भी गतिविधि में शामिल होने या शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

स्पष्टीकरण:-

इस खंड (ए) के प्रयोजन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, यदि इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सामान्य लोगों के बीच कोई नुकसान, खतरा या असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है या पैदा करने की योजना बना रही है। सार्वजनिक या उसके किसी भी वर्ग या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरा है तो वह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी या प्रतिकूल रूप से

प्रभावित समझा जाएगा या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, यह माना जाएगा।"

20. धारा 2(ए) का स्पष्टीकरण (सुप्रीम कोर्ट) 'सार्वजनिक व्यवस्था' पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में एक कानूनी कल्पना को लागू करता है। यह प्रदान करता है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि खंड धारा 2 (ए)(i)(iii) में निर्दिष्ट है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच किसी नुकसान, खतरे या अलार्म या असुरक्षा की भावना या जीवन के लिए गंभीर या व्यापक खतरे या सार्वजनिक स्वास्थ्य का कारण बनता है या पैदा करने की योजना बनाई जाती है, तो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित माना जाएगा। इस प्रकार, यह "मद्य तस्कर" की गतिविधि का नतीजा है जो यह निर्धारित करता है कि क्या इस प्रावधान के अर्थ में 'सार्वजनिक व्यवस्था' प्रभावित हुई है या नहीं। इस अधिनियम के तहत निरुद्घ व्यक्ति की हिरासत के संबंध में विचारण के समय इस विधायी इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिए

21. अब तत्काल मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं-

जिस आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है उसका सार यह है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक अवैध शराब तस्कर है और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और कानून के चंगुल से बचने के लिए, उसने अपने तेज रफ्तार वाहन से पुलिस को कुचलने की भी कोशिश

की, जिसने उसे रुकने का इशारा करने की कोशिश की, और हर समय उकसाया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार डालेगा। उसने लापरवाही से गाड़ी चलाना जारी रखा और एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, वहीं उसने फिर से चेतावनी दी थी कि जो भी उसके रास्ते में आएगा, उसकी मौत हो जाएगी। चार गवाह ए, बी, सी, डी जो नाम न छापने की शर्त पर पुलिस को बयान देने के लिए सहमत हुए, ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे बदले के डर से बंदी के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, इस बाबत् बंदी ने उन्हें धमकी दी है। इन गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि बंदी अवैध शराब के परिवहन और उसे इलाके में वितरित करने में लिप्त था और शराब परिवहन करते समय अपने साथ हथियार रखता था। इसलिए, बंदी की गतिविधियाँ, केवल "मद्य तस्कर" की नहीं थी, जैसा कि ओम प्रकाश, रशीदमिया और पीयूष कांतिलाल मेहता (सुप्रीम कोर्ट) की स्थिति में था, लेकिन इस मामले में लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर तथा समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ गवाही देने की संभावना थी।

अपराधी को दंडित न करने के प्रभाव से बंदी द्वारा गवाहों में भय के मनोविकार को पैदा करना समाज की क्षमता पर प्रभाव डालता है न कि किसी व्यक्तिगत।

धारा 2(ए) के स्पष्टीकरण में अधिनियमित डीमिंग प्रावधान के तहत अधिनियम एक तार्किक परिणाम के रूप में अनुसरण करता है कि बंदी की गतिविधियाँ न केवल 'कानून और व्यवस्था' के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थी, बल्कि "सार्वजनिक व्यवस्था" के रखरखाव के लिए भी प्रतिकूल थी। इसलिए, हिरासत के आदेश के खिलाफ डॉ. चितले द्वारा उठाया गया पहला तर्क विफल हो जाता है।

22. अब डॉ. चितले के दूसरे तर्क पर आते हैं जिसका आशय है कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत राज्य सरकार को पहली बार में तीन महीने से अधिक की हिरासत का आदेश देने से रोकता है, और चूंकि मौजूदा मामले में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था, जो दोषपूर्ण था।

धारा 3 इस प्रकार है:-

> "कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने के आदेश देने की शक्ति।
>
> (1) राज्य सरकार, यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से, ऐसा

करना आवश्यक है, तो एक आदेश दें जिसमें निर्देश दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

(2) यदि, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित या संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, यह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट की जावे, ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट हैं, तो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उक्त उपधारा के तहतः-

परंतु, यह कि इस उपधारा के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अवधि, पहली बार में, तीन महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार, यदि पूर्वोक्त रूप से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे आदेश में संशोधन कर सकती है, ऐसी अवधि को समय-समय पर किसी एक समय में तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। (3) जब उपधारा (2) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा इस धारा के तहत कोई आदेश दिया

जाता है, तो वह तुरंत राज्य सरकार को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा, साथ ही उन आधारों के साथ, जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण, जिससे उनकी राय में, इस मामले पर असर पड़ेगा, तब ऐसा आदेश जो कि आदेश होने के बाद बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच, इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।"

धारा 3(1) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि धारा 3(1) के तहत राज्य सरकार, यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है और तो उसे "सार्वजनिक व्यवस्था" के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से यह करना आवश्यक है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश दिया जा सकता है। धारा 3 की उपधारा (2) राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है आैर यह प्रावधान करती है कि यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के किसी भी क्षेत्र में प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी मामला हो, पुलिस मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को सशक्त बनाना आवश्यक है, तब उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्ति को, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश देने की राज्य सरकार की शक्तियों को लिखित आदेश द्वारा निर्देश

दे सकती है कि ऐसी अवधि, जो कि आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी यदि उपधारा में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट है तो वे उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त की गई राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अतः उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अवधि निर्दिष्ट है। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को उपधारा (1) के तहत दी गई शक्तियों में पहली बार में तीन माह से अधिक की हिरासत देने की शक्तियां नहीं होंगी। इसलिए प्रावधान का किसी भी बंदी की हिरासत की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। हिरासत की अधिकतम अवधि अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किए गए किसी भी हिरासत आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है, जिसकी पुष्टि अधिनियम की धारा 12 के तहत की गई है। अतः तत्काल मामले में यह कहना व्यर्थ है कि तीन महीने से अधिक की अवधि का आदेश दिया गया है। इसलिए, मामला दूषित हो गया है। इसलिए दूसरा तर्क भी विफल हो जाता है।

24. हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1991 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 597 को सही ढंग से खारिज कर दिया और उस आदेश में किसी हस्तक्षेप

की आवश्यकता नहीं है। अपील असफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

25. 1991 की रिट याचिका संख्या 1247 भी असफल हो गई है, चूँकि निरोध का आदेश किसी भी प्रकार से दूषित नहीं था और इसे खारिज कर दिया गया है।

जी.एन.

अपील/याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी -ऋतु चंदानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।